<u>**जनपद बरेली में पुलिस अधि0/कर्म0गण द्वारा किये गये गुडवर्क सम्बन्धी सूचना।**</u>

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा थाना बारादरी क्षेत्र के मो**0** रोहिली टोला में रहने वाले गरीब परिवार को मिठाई खिलाकर व बच्चों को पटाखें, चॉकलेट, गुब्बारे आदि तथा परिवार के सदस्यों के लिये कपड़े व कम्बल भेंट कर दीपावली मनाई गयी। दीपावली की पूर्व संध्या पर थाना प्रेमनगर क्षेत्रान्तर्गत वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों के साथ दीपावली की खुशियां मनाते हुए वृद्धजनों को मिष्ठान, फल, उपहार व शॉल आदि देकर दीपावली की शुभकामनाएँ दी गयी।

प्रेमनगर वृद्धाश्रम में दिवाली मनाने पहुंचे एसएसपी अखिलेश चौरसिया।

एसएसपी ने वृद्धाश्रम में मनाई दिवाली

बरेली। एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने वृद्धाश्रम में निराश्रित बुजुर्गों के बीच दिवाली मनाई। उन्होंने प्रेमनगर स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को मिठाई, फल, उपहार और शाल देकर दिवाली की शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर एसपी सिटी राहुल भाटी, इंस्पेक्टर प्रेमनगर आदि मौजूद रहे। संवाद

आइजी रमित शर्मा की ओर से सुभाष नगर में कमलजीत के घर दीपावली मनाते सीओ द्वितीय आशीष प्रताप सिंह •जागरण

2. A Compassionate and Considerate Act By SSPBareilly. Reaching out to millions just to see a smile on their face is the Moto for our SSPBareilly! An Old lady approached for help as her LCD was out of order which was replaced within a couple of hours by SSPBareilly **.**

3. थाना शीशगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्त सुखदेव द्वारा अवैध धन लाभ अर्जित कर अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति दो मंजिला मकान कुल कीमत–50,00,000 रू/- (पचास लाख रूपये) का किया गया जब्तीकरण।

प्रेस नोट दिनांक 18.10.2022
थाना शीशगढ़ जनपद बरेली

अभियुक्त सुखदेव द्वारा अवैध धन लाभ अर्जित कर अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति दो मंजिला मकान कुल कीमत-50,00,000 रू/- (पचास लाख रूपये) का किया गया जब्तीकरण।

अभियुक्त सुखदेव पुत्र रतनलाल निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना शेरगढ़ जिला बरेली के द्वारा अपने परिवारीजनों रवि पुत्र सुखदेव निवासी मोहम्मदपुर थाना शेरगढ़ जनपद बरेली, वेद प्रकाश पुत्र रतनलाल निवासी मोहम्मदपुर थाना शेरगढ़ जिला बरेली एंव सहयोगियों संजीव पुत्र जगदीश, जितेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश व मुनेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर थाना शेरगढ़ जनपद बरेली के साथ मिलकर मारपीट, गाली गलौच, हत्या कर लोगों को डरा धमका कर अपराध कारित कर अवैध धन लाभ अर्जित कर अवैध चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है। अभियुक्त सुखदेव उपरोक्त आदि के द्वारा मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ के उद्देश्य से किये गये अपराध के परिणामस्वरूप थाना शेरगढ़ जनपद बरेली पर मु0अ0सं0 02/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बरेली द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगणों के द्वारा अर्जित अवैध सम्पत्ति मो0 महादेवपुरम् कस्बा व थाना बहेडी में स्थित दो मंजिला मकान जिसकी कीमत करीब 50 लाख रूपये को धारा 14(1) में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही कर सम्पत्ति की जब्त करने की कार्यवाही की गयी है।

आपराधिक इतिहास:-
अभियुक्त सुखदेव पुत्र रतनलाल निग्राम मोहम्मदपर थाना शेरगढ़ जनपद बरेली
1. मु0अ0सं0 65/20 धारा 324/323/504 भादवि थाना शेरगढ़ बरेली
2. मु0अ0सं0 74/21 धारा34/147/148/149/203 भादवि थाना शेरगढ़ बरेली
3. मु0अ0सं0 62/10 धारा 307/336 भादवि थाना शेरगढ़ बरेली
4. मु0अ0सं0 519 / 22 धारा 324/323/504 भादवि थाना शेरगढ़ बरेली
5. मु0अ0सं0 02/94 धारा 325/504/324 भादवि थाना शेरगढ़ बरेली
6. मु0अ0सं0 02/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना शेरगढ़ बरेली
7. एनसीआर 35/20 धारा 323/504 भादवि थाना शेरगढ़ बरेली

जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण:-
अभियुक्त सुखदेव पुत्र रतनलाल नि0 उपरोक्त की जब्त की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण:-
कुल सम्पत्ति- दो मंजिला मकान, गाटा संख्या 264 कुल भूमि क्षेत्रफल हेक्टर में 0.628 कुल कीमत 50,00,000 (पचास लाख रूपये)/-

- उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व अभियुक्त सुखदेव, रवि एवं वेदप्रकाश द्वारा अवैध धन लाभ अर्जित कर कुल चल/अचल सम्पत्ति कीमत - 1,46,02,500 रू/- (एक करोड़ छियालिस लाख दो हजार पांच सौ रू0) का भी जब्तीकरण किया जा चुका है।

4. थाना बारादरी पुलिस द्वारा दो अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार कब्जे से 1 किलोग्राम अफीम (**अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 95 लाख रूपये)** बरामद।

प्रेस नोट दिनांक 15.10.2022
थाना बारादरी जनपद बरेली।

थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा दो अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार कब्जे से 1 किलोग्राम अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 95 लाख रूपये) बरामद।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय द्वारा अपराधियों व मादक पदार्थो के तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निर्देशन मे थाना बारादरी पुलिस द्वारा दो अभियुक्त क्रमशः 1. उमेश पुत्र जगदीश निवासी मोहनपुर थाना कैन्ट बरेली 2. धर्मवीर पुत्र रामसेवक निवासी मामनपुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली को 01 किलोग्राम अफीम के साथ सुरेश शर्मा नगर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। इसके सम्बंध में थाना बारादरी बरेली पर मु0अ0सं0 1002/2022 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 1003/2022 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणो को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगणों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग पहले भी कई बार अफीम लेकर सुरेश शर्मा नगर चौराहे व सैटेलाइट से बस में बैठकर उत्तराखण्ड गये थे। यह माल हम मोमनपुर के जंगल से बताये हुए स्थान से लेकर आते थे और माल बेचकर पैसे भी बताये हुए स्थान पर रख देते थे। आज भी हम लोग मोमनपुर के जंगल ईख के खेत से माल लेकर आये थे। हम इसको बेचने जा रहे थे कि तभी आप लोगो द्वारा हमे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-
1. उमेश पुत्र जगदीश निवासी मोहनपुर थाना कैन्ट बरेली
2. धर्मवीर पुत्र रामसेवक निवासी मामनपुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-
1. मु0अ0सं0 – 1002/2022 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना बारादरी बरेली।
2. मु0अ0सं0 - 1003/2022 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना बारादरी बरेली।

बरामदगी
1. 01 किलोग्राम अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 95 लाख रूपये)

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-
1. उ0नि0 सुशील कुमार चौकी प्रभारी जोगीनवादा थाना बारादरी बरेली।
2. उ0नि0 सुधीर कुमार थाना बारादरी बरेली।
3. हे0का0 362 परमानन्द थाना बारादरी बरेली।
4. का0 1224 धीरेन्द्र दांगी थाना बारादरी बरेली।
5. का0 3021 शिवकुमार थाना बारादरी बरेली।

5. श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद बरेली के आदेश के अनुपालन मे थाना फरीदपुर पुलिस द्वारा ड्रग माफिया फय्याज हुसैन की 02 करोड़ 67 लाख रुपये मूल्य की सम्पत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोह बन्द एवं असामाजिक क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अन्तर्गत जब्त की गयी।

बरेली पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 12.10.2022

थाना फरीदपुर जनपद बरेली

थाना क्षेत्र फरीदपुर के कुख्यात ड्रग माफिया छोटे प्रधान के सहयोगी फय्याज हुसैन की सम्पत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोह बन्द एवं असामाजिक क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अन्तर्गत 02 करोड़ 67 लाख रुपये मूल्य की सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय के आदेशानुसार जनपद में ड्रग तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत ड्रग माफिया फय्याज हुसैन पुत्र हामिद हुसैन नि0 मो0 ऊंचा कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली द्वारा अवैध क्रियाकलापो के फलस्वरुप अर्जित की गयी सम्पत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोह बन्द एवं असामाजिक क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 सम्बन्धित मु0अ0सं0-132/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत आज दिनांक 12.10.2022 को नियमानुसार सीज/जब्त की गयी।

यह उल्लेखनीय है कि सीज/जब्त की गयी सम्पत्ति का वर्तमान में बाजारी मूल्य लगभग **02 करोड़ 67 लाख** रुपये है। कुर्क की गयी प्रत्येक सम्पत्ति पर आदेश सम्बन्धी बैनर लगाकर इस विषय में पर्याप्त प्रचार-प्रसार कर आम जनमानस को सूचित गया है।

बरेली पुलिस

पढ़ेरा के शहीद खां का पार्टनर है फैयाज, कार्रवाई के दौरान नोकझोंक

ड्रग तस्कर की 2.67 करोड़ की संपत्तियां सीज

फरीदपुर, संवाददाता। पढ़ेरा के ड्रग तस्कर शहीद खां के पार्टनर फैयाज की 2.67 करोड़ की 10 संपत्तियों को बुधवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने सीज कर दिया। दिल्ली की जेल में बंद फैयाज के परिजनों ने कार्रवाई के दौरान पुलिस से नोंकझोंक भी की। लेकिन पुलिस ने पूरे परिवार को कोठी से बाहर निकाल दिया था। बता दें, फैयाज के खिलाफ बीते दिनों गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी।

पिछले साल फतेहगंज पूर्वी और फरीदपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने पढ़ेरा गांव के प्रधान शहीद खां उर्फ छोटे और उसके भतीजे राजू को 20 किलो ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि शहीद खां की फरीदपुर के ऊंचा मोहल्ले में रहने वाले फैयाज की पार्टनरशिप में बैटरी फैक्ट्री है। ड्रग तस्कर शहीद खां के साथ फैयाज स्मैक की तस्करी का कारोबार कर रहा था। इसके बाद फैयाज के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गयी। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने तस्करी के आरोप में फैयाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। डीएम की ओर से फैयाज की संपत्ति की जांच करने के निर्देश दिए गए।

ड्रग तस्कर फैयाज।

पता लगा कि फैयाज की मोहल्ला ऊंचा में कई मंजिला कोठी है। इसके अलावा गौसगंज सराय, महादेव, इनायतपुर, पहलऊपट्टी, सराय कस्बा में कृषि भूमि और प्लाट हैं। उनकी पत्नी शाहिन के नाम ऊंचा मोहल्ला में एक प्लाट पाया गया। डीएम ने फैयाज की प्रॉपर्टी का आकलन कराया। उसकी कुल संपत्ति 2.67 करोड़ की पाई गई। डीएम ने आरोपी फैयाज की सारी संपत्ति सीज कर दी। बुधवार को नायब तहसीलदार अभिषेक तिवारी, सीओ गौरव सिंह, इंस्पेक्टर हरवीर सिंह एवं लेखपाल कमल पुलिस टीम के साथ फैयाज की मोहल्ला ऊंचा में कोठी पर पहुंचे। इस पर महिलाएं पुलिस से नोंकझोंक करने लगी। पुलिस ने पूरे परिवार की महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाल कर कोठी को सीज कर दिया गया।

गली में निकला कोठी का दूसरा दरवाजा

कोठी को सीज करने से पहले पुलिस ने पूरे घर के निकासद्वारों को देखा। इसके बाद पता लगा कि कोठी के पीछे गली में दूसरा दरवाजा लगा हुआ है। पुलिस ने उस दरवाजे को भी सीज कर दिया। फरीदपुर के मोहल्ला ऊंचा के फैयाज की फरीदपुर के बाईपास से सटी जमीन पर बैटरी फैक्ट्री थी। फैयाज के गिरफ्तार होने के बाद नगर पालिका परिषद ने उसे बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया था।

जुटी मोहल्ले की भीड़

कोठी एवं अन्य संपत्ति को सीज करने से पहले पुलिस ने ढोल और नगाड़े बजवाकर मुनादी कराई। पुलिस टीम के साथ ढोल बजते देख मोहल्ले के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने कई बल प्रयोग करते हुए लोगों को खदेड़ा। फरीदपुर सीओ गौरव सिंह ने बताया कि फैयाज के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। इसके तहत उसकी प्रॉपर्टी सीज की है।

स्मैक तस्कर हाजी फैयाज की कोठी, दुकान और जमीन सीज

संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदपुर। न्यायालय के आदेश पर बुधवार को स्मैक तस्कर हाजी फैयाज की कोठी, दुकान व जमीन सीज कर दी गई। नायब तहसीलदार, सीओ पुलिस बल के साथ कार्रवाई की। इस दौरान स्मैक तस्कर के चचेरे भाइयों की अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई।

मोहल्ला ऊंचा निवासी हाजी फैयाज को पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने उसकी प्रापर्टी का आकलन कराया तो उसकी कीमत करीब दो करोड़ 67 लाख रुपये निकली। न्यायालय के आदेश पर बुधवार को फरीदपुर नायब तहसीलदार अभिषेक तिवारी, सीओ गौरव सिंह, इंस्पेक्टर हरवीर सिंह पुलिस फोर्स के उसकी कोठी पर पहुंचे और सीज करने की कार्रवाई की। इसी मोहल्ले में बनी उसकी दुकानें, इनायतपुर में उसकी जमीन समेत दस प्रापर्टी सीज की गई। इस दौरान उसके चचेरे भाइयों ने प्रशासन से विरोध जताते हुए कहाकि जो प्रापर्टी उसके नाम है सिर्फ वही सीज होनी चाहिए। अधिकारियों ने कोर्ट का आदेश दिखाते हुए सभी को हटाकर कार्रवाई की।

न्यायालय के आदेश पर नायब तहसीलदार ने पुलिस की निगरानी में की कार्रवाई

'स्मैक तस्कर हाजी फैयाज की प्रॉपर्टी जिला अधिकारी न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए सीज की गई है। कोठी सीज करने से पहले परिवार के लोगों को घर से आवश्यक सामान कपड़े निकालने का मौका दिया गया था।'

– गौरव सिंह, सीओ, फरीदपुर

पढ़ेरा के प्रधान का पार्टनर था बैटरी वाला हाजी फैयाज

पढ़ेरा प्रधान शहीद खां उर्फ छोटे के जेल जाने के बाद पता चला कि हाजी फैयाज प्रधान का पार्टनर है। फैयाज की बैटरी फैक्ट्री में पढ़ेरा प्रधान पार्टनर था। उसके साथ स्मैक तस्करी का धंधा भी करता था। पिछले साल भी पुलिस ने फैयाज को गिरफ्तार किया था। उसके बाद वह जमानत पर छूट आया था। इसके दिल्ली पुलिस ने उसे स्मैक तस्करी में जेल भेजा। पिछले साल नगर पालिका परिषद ने स्मैक तस्कर हाजी फैयाज की बैटरी फैक्ट्री पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया था।

Social Media Cell,
Bareilly Police

Uppolice.gov.in
@BareillyPolice
@bareillyPolice
@BareillyPolice

6. साइबर क्राइम सेल, बरेली पुलिस द्वारा आवेदक श्री रामबहादुर सिंह के साईबर ठगो द्वारा ठगे गये **6,00,000/-**रूपये (छः लाख रूपये) की वापसी करायी गयी।

प्रेस नोट दिनांक 08.10.2022

साइबर क्राइम सेल बरेली

साईबर क्राइम सेल, बरेली द्वारा आवेदक श्री रामबहादुर सिंह पुत्र श्री चुन्नी लाल नि0 राजीव नगर, नवादा शेखान, थाना बारादरी बरेली के साईबर ठगो द्वारा ठगे गये 6,00,000/-रूपये (छः लाख रूपये) की वापसी करायी गयी।

जनपद बरेली मे बढते हुए साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय द्वारा जनसामान्य को समय-समय पर जागरूक तथा साईबर सेल को आवश्यक/त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। दिनांक 12.07.2022 को आवेदक श्री राम बहादुर सिंह पुत्र श्री चुन्नी लाल नि0 राजीव नगर, नवादा शेखान थाना बारादरी जनपद बरेली ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद बरेली महोदय के कार्यालय मे शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 10.07.2022 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर कॉल की तथा आवेदक को बिजली बिल अपडेट करने हेतु एक रिमोट एक्सेस एप्प डाउनलोड कराकर उन्हे भ्रमित कर उनकी इण्टरनेट बैंकिग इस्तेमाल कर उनके खाते से दो बार मे कुल 6,00,000/- रूपये (छः लाख रूपये) निकाल लिये थे।

उपरोक्त शिकायत प्राप्त होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद बरेली द्वारा तत्काल साइबर सेल को त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जिसके उपरान्त साईबर क्राईम सेल द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुये पुलिस अधीक्षक, अपराध महोदय के नेतृत्व मे तत्काल आवश्यक कार्यवाही की गयी जिसके परिणामस्वरूप आवेदक की सम्पूर्ण धनराशि छः लाख रूपये (6,00,000/-रू0) वापस करवाये गये। इस सम्बन्ध मे थाना बारादरी, जनपद बरेली पर मु0अ0सं0 678/22 धारा 420 भादवि व 66 आई0टी0 एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

वापस करायी गयी धनराशि का विवरण:- छह लाख रूपये (6,00,000/- रू0)

साईबर क्राईम टीम के सदस्य:-

1.निरीक्षक श्री मृदुल कान्त, प्रभारी साइबर क्राईम शाखा, बरेली।
2.उ0नि0 श्री देशराज सिंह, साइबर क्राइम शाखा, बरेली।
2.उ0नि0 श्री शशांक सिंह, साइबर क्राइम शाखा, बरेली।
3.है0का0 गिरिजेश पोसवाल, साइबर क्राईम शाखा, बरेली।
4.का0 सचिन कुमार, साइबर क्राईम शाखा, बरेली।
5.का0 अरूण कुमार, साइबर क्राईम शाखा, बरेली।
6.का0 शिवम कुमार, साइबर क्राईम शाखा, बरेली।

किसी भी अनजान व्यक्ति से अपना खाता संख्या, पिन, ओटीपी, सीवीवी नम्बर इत्यादि साझा ना करें । खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरंत 1930 पर कॉल अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करें ।

साइबर सेल ने वापस कराए ठगी के छह लाख रुपये

- एप डाउनलोड कराकर की गई थी ठगी
- बिजली बिल जमा कराने के बहाने उड़ाए थे रुपये

बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। साइबर सेल ने ठगी के शिकार हुए बारादरी के जोगीनवादा निवासी रामबहादुर के छह लाख रुपये वापस कराए हैं। बिजली का बिल जमा कराने के दौरान उनके मोबाइल में सपोर्ट एप डाउनलोड कराकर यह रकम ठगी गई थी।

साइबर सेल प्रभारी इंस्पेक्टर मृदुल कांत शुक्ला के मुताबिक रामबहादुर ने 10 अगस्त को बिजली का बिल जमा करने के लिए बिजली विभाग के नंबर पर कॉल किया था। बिल जमा करने के बात होने के बाद दूसरे नंबर से उनके मोबाइल पर मैसेज आया और पेमेंट अपडेट करने के लिए कहा गया। मैसेज में एप क्विक सपोर्ट के जरिए 1773 का बिल जमा करने के लिए कहा गया। उन्होंने एप डाउनलोड कर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बिल भुगतान किया तो साइबर ठगों ने उनके एफडी एकाउंट से दो बार में छह लाख रुपये उड़ा दिए। उन्होंने एसएसपी से शिकायत की तो बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर साइबर सेल को कार्रवाई के आदेश दिए गए। इसके बाद उस रकम को तत्काल होल्ड करा दिया गया और शनिवार को वह रकम उनके खाते में वापस आ गई।

7. साइबर जागरुकता अभियान । जनपदीय पुलिस द्वारा साइबर जागरुकता अभियान के तहत नगर ग्रामीण क्षेत्र में आम जनमानस को साइबर अपराध व बचाव के सम्बन्ध में किया/गया जागरुक।

बरेली पुलिस

प्रेस नोट साइबर जागरूकता अभियान

जनपद बरेली दिनांक 06.10.2022 ।

जनपदीय पुलिस द्वारा साइबर जागरुकता अभियान के तहत नगर/ग्रामीण क्षेत्र में साइबर अपराध के सम्बन्ध में किया गया जागरुक ।

आज दिनांक 06.10.2022 को "वार्षिक साइबर जागरुकता दिवस" के परिपेक्ष्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में जनपद बरेली पुलिस द्वारा नगर/ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर जागरुकता अभियान चलाकर आमजन मानस को साइबर अपराध जैसे इन्टरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड, ओलेक्स फ्रॉड, वॉलेट/यूपीआई संबंधित धोखाधड़ी में बरती जाने वाली सावधानियां, फेसबुक हैकिंग, बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, व्हाट्सएप हैकिंग से बचाव, फर्जी वेबसाइट से होने वाले फ्रॉड के संबंध में सावधानियां, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सोशल साइट्स से हनी ट्रैप आदि के बचाव के संबंध में विस्तृत रुप से जानकारी देकर जागरुक किया जा रहा है । इसके साथ-साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए हेल्पलाइन नम्बर 1930 डायल करने अथवा साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल http://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने हेतु भी जागरुक किया गया ।

Bareillypolice @bareillypolice uppolice.gov.in

8. अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली व एसडीएम आंवला बरेली द्वारा तहसील आंवला में तहसील क्षेत्र के **80** वर्ष व उससे अधिक उम्र के वृद्धजन वोटरों को चुनाव आयोग द्वारा दिये गये शॉल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया ।

<u>जनपद बदायूँ में पुलिस अधि0/कर्म0गण द्वारा किये गये गुडवर्क सम्बन्धी सूचना।</u>

माह अक्टूबर 2022 में पुलिस अधि0/कर्म0गण द्वारा किये गये सराहनीय कार्य संबंधी सूचना जनपद बदायूं।

दिनॉक-01-10-2022

थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ पुलिस द्वारा गैगस्टर एक्ट के अभियुक्त कय्युम पुत्र अब्दुल अहमद नि0 ग्राम दहगवाँ थाना जरीफनगर बदायूँ सम्बन्धित वाद स0 1062/2022 सरकार बनाम कय्युम अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोह बन्ध एंव असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 माननीय जिला मजिस्ट्रेट बदायूँ मे सम्पत्ति जब्तीकरण अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबन्द एंव असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के सम्बन्ध मे।

जिलाधिकारी बदायूँ महोदया के पत्र स02127/रीडर-डी0एम0बदायूँ दिनांक 30.09.22 के अनुपालन श्रीमान जिलाधिकारी महोदया अभियुक्त कय्युम पुत्र अब्दुल अहमद नि0 ग्राम दहगवाँ थाना जरीफनगर बदायूँ की अवैध सम्पत्ति को कुर्क कर सम्पत्ति जब्तीकरण अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबन्द एंव असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के कुशल निर्देशन मे एंव पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण मे तथा उप जिलाधिकारी सहसवान, क्षेत्राधिकारी सहसवान , तहसीलदार सहसवान बदायूँ व प्रभारी निरीक्षक थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ की अध्यक्षता मे थाना जरीफनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त कय्युम पुत्र अब्दुल अहमद नि0 ग्राम दहगवाँ थाना जरीफनगर बदायूँ से सम्बन्धित वाद स0 1062/2022 सरकार बनाम कय्युम अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोह बन्ध एंव असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 माननीय जिला मजिस्ट्रेट बदायूँ आदेश अनुपालन में अभियुक्त की अचल सम्पत्ति गाटा स0 1246 पैतृक भूमि मे बने मकान के 1/4 भाग कीमत 1,54830/- (एक लाख चौवन्न हजार आठ सौ तीस रूपये) अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबन्द एंव असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

दिनाँक 01.10.2022

थाना सहसवान जनपद बदायूँ पुलिस द्वारा गैगस्टर एक्ट के अभियुक्त मौअज्जम अली पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम नदायल थाना सहसवान जनपद बदायूँ की गैगस्टर एक्ट मे अभियुक्त की अचल सम्पत्ति (मकान) कीमती 1135628/- (ग्यारह लाख पैतीस हजार छ सौ अट्ठाइस हजार रुपये) सम्पत्ति जब्तिकरण किये जाने के संबंध में।

जिलाधिकारी बदायूँ महोदया के आदेश पत्रांकः- 5158/रीडर-डी0एम0 बदायूँ दिनांक 31.08.2022 के अनुपालन मे अभियुक्त मौअज्जम अली पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम नदायल थाना सहसवान जनपद बदायूँ सम्बन्धित मु0अ0सं0 460/2020 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट मे सम्पत्ति जब्तीकरण अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबन्द एंव असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के कुशल निर्देशन मे एंव पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण मे तथा उप जिलाधिकारी सहसवान, क्षेत्राधिकारी सहसवान, तहसीलदार सहसवान बदायूँ व प्रभारी निरीक्षक सहसवान जनपद बदायूँ की अध्यक्षता मे थाना सहसवान पुलिस द्वारा अभियुक्त मौअज्जम अली पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम नदायल थाना सहसवान जनपद बदायूँ सम्बन्धित मु0अ0सं0 460 /2020 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट मे अभियुक्त की अचल सम्पत्ति (मकान) कीमती 1135628/- (ग्यारह लाख पैतीस हजार छ सौ अट्ठाइस हजार रुपये) अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबन्द एंव असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

दिनांक – 05-10-2022

एसओजी व थाना बिसौली पुलिस द्वारा बिहार (शराबबन्दी प्रदेश) जा रही चण्डीगढ प्रांत की अवैध अंग्रेजी शराब की 269 पेटी (कीमत लगभग 22 लाख रुपये) व तस्करी मे प्रयुक्त 01 मारुति सुजूकी एसप्रैसो कार, 01 डीसीएम कैन्टर व भारी मात्रा में फर्नीचर समेत 02 शातिर तस्कर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं डा0 ओ0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बिसौली ओजस्वी चावला के नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शराब अभियान के अन्तर्गत एसओजी टीम व थाना बिसौली पुलिस द्वारा अवैध रुप से भारी मात्रा में शराब की तस्करी कर बिहार प्रांत (शराबबंदी प्रदेश) ले जा रहे 02 तस्करों 1.जीवछ कुमार पुत्र रामनरेश महतो नि0 ग्राम नन्दनी थानी महीउद्दीननगर जनपद समस्तीपुर बिहार, 2.राहुल गौतम पुत्र स्व0 ओमप्रकाश गौतम नि0 ग्राम चन्दपुरा नगरिया थाना खैर जनपद अलीगढ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में हरियाणा/चण्डीगढ निर्मित अवैध शराब बरामद किया गया है। जिस सम्बन्ध मे थाना बिसौली पर मु0अ0सं0 550/2022 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम व 420 भादवि पंजीकृत किया गया। बरामद शराब को छिपाने के लिए कैण्टर में एक विशेष कैबिन बनायी गयी थी जिसके अन्दर शराब को छिपाकर रखा गया था तथा ऊपर से भारी मात्रा में फर्नीचर की सामग्री रखी गई थी जिससे किसी को शराब होने का सन्देह न हों। दिनांक 04/10/2022 को मुखबिर की सूचना के आधार पर एसओजी व थाना बिसौली की संयुक्त टीम नें 01 मारुति सुजूकी एसप्रैसो कार (वाहन सं0

BR11AQ6913), 01 डीसीएम कैन्टर (वाहन सं0 MP43G1908) को पकडा गया जिसकी तलाशी लेने पर हरियाणा/चण्डीगढ प्रांत की अवैध अंग्रेजी शराब (269 पेटी) (मार्का इम्पीरियल स्टाईल प्रीमियम) बरामद की गई जिसकी खरीदी कीमत लगभग 22 लाख रुपये है ।

दिनांक 08-10-2022

थाना उझानी पुलिस द्वारा किया गया अपहर्ता मासूम बालिका (उम्र 03 वर्ष) की सनसनीखेज हत्या का खुलासा, 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं डा0 ओ0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन व पुलिस अधीक्षक नगर श्री अमित किशोर श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी उझानी श्री शक्ति सिंह के नेतृत्व में एसओजी टीम व थाना उझानी पुलिस द्वारा किया गया अनावरण। पूर्व में थाना उझानी पर दिनांक 03-05-2022 कों वादी ह्देश पुत्र जसवन्त सिंह नि0 हरहरपुर नरसिंहपुर थाना उझानी जनपद बदायूं द्वारा अपनी 03 वर्षीय बालिका की गुमशुदगी की सूचना देने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 246/2022 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । गहन पतारसी सुगारसी व ईलैक्ट्रानिक साक्ष्यों एवं धरातलीय सूचनाओं के आधार पर 02 अभि0गण क्रमशः 1. प्रदीप पुत्र गोवर्धन नि0 ग्राम हरहरपुर नरसिंहपुर थाना उझानी जनपद बदायूं 2. वीरेन्द्र पुत्र लालाराम नि0 ग्राम हरहरपुर नरसिंहपुर थाना उझानी जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया । जिनकी निशादेही पर गुमशुदा बालिका के शव के अवशेष व कपडे थाना उझानी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरहरपुर नरसिंहपुर के जंगल में ट्यूबवेल के बोरबैल में प्लास्टि के बोरे में बरामद हुए है । उपरोक्त घटनाक्रम एवं साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 302/201/34 भादवि की बढोत्तरी की गई ।

दिनॉक-14-10-2022

एक 3 वर्षीय बच्ची कस्बा वजीरगंज में रोते हुए मिली व कुछ भी बताने में असमर्थ थी, थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा बच्ची को LC 833 मोनिका भाटी की सुपुर्दगी मे रखा गया एवं केवल 30 मिनट के अंदर गहनता से सुरागरसी-पतारसी कर बच्ची के माता-पिता को तलाश कर सकुशल उनके सुपुर्द किया गया।

पुलिस ने माता-पिता को सौंपी बच्ची

बदायूं। कस्बा वजीरगंज में शुक्रवार को एक तीन साल की मासूम बच्ची हाइवे पर इधर उधर माता पिता की तलाश में रोती भटक रही थी। लोगों के पूछने पर अपना और माता पिता का नाम तक नही बता पा रही थी। लोगों ने संवेदना दिखाते हुये पुलिस को सूचना दी। पुलिस कांस्टेबिल मोनिका भाटी ने काफी प्रयास करने के बाद पता लगया कि बच्ची का नाम गुनगुन है और उसके पिता का नाम आदित्य शर्मा निवासी पहाड़पुर थाना क्षेत्र बिल्सी है। महिला कांस्टेबिल ने माता पिता को बुला कर बच्ची उपके सुपुर्द कर दी।

दिनांक – 17.10.2022

थाना वजीरगंज जिला बदायूँ पुलिस द्वारा लावारिस बच्चे को सकुशल उसके परिवारीजन (नानी) के सुपुर्द करने के सम्बन्ध मे।

आज दिनांक 17.10.2022 को समय करीब 17.00 बजे कस्बा वजीरगंज में एक बच्चा कृष्णा कुमार पुत्र सिकन्दर मण्डल उम्र करीब 12 वर्ष नि0 रमपुरा घाट थाना टिम्पारा जिला साहिबगंज राज्य झारखण्ड

लावारिश घूमता हुआ मिला जो भूखा था तथा पूछने पर बताया कि मुझे मोबाईल देखने से मना करने पर माँ की डाँट से नाराज होकर अपने माता –पिता के डांटने पर अपने घर से भागकर ट्रेन में बैठकर बरेली आया एवं बरेली से कस्बा वजीरगंज मे आया था जिसे थाने लाकर थाना कार्यालय में बैठाकर खाना खिलाया गया तथा उपरोक्त बच्चे की गहन सुरागरशी पतारशी कर बच्चा कृष्णकुमार के पिता से वार्ता कर कृष्णा उपरोक्त की नानी रथमुनीनी पत्नी नन्दलाल नि0 बडा दुर्गापुर थाना टिम्पारा घाट जिला साहिबगंज झारखण्ड हाल पता रेलवे स्टेशन बरेली के पास जनपद बरेली को थाना हाजा पर बुलाकर एवं पूर्ण तसल्ली कर उसकी नानी के सुपुर्द कर थाना हाजा से सकुशल रूखसत किया गया।

मां की डांट से नाराज बच्चा वजीरगंज पहुंचा

वजीरगंज, संवाददाता। मोबाइल चलाने से मां ने डांटा तो बच्चा झारखंड से ट्रेन में बैठकर बरेली पहुंचा और उसके बाद वजीरगंज पहुंचा तो पुलिस ने उसे भटकता दो अपने पास बुलाया। इसके बाद उसके यहां तक आने का भेद खुला। पुलिस ने बच्चे के बारे में चाइल्ड लाइन के अधिकारियों को सूचना दी है।

सोमवार को एसओ धनजंय पांडेय नगर में कानून व्यवस्था का जायजा लेने निकले तो रोड पर एक नौ वर्षीय मासूम बच्चा रोड पर भटकते देखा तो उन्होंने उसे रोक कर पूछताछ की। बच्चे ने बताया कि वह झारखंड के रमपुरा घाट थाना तीन पहाड़ जिला साहबगंज का रहने वाला है मोबाइल चलाने को लेकर मां ने डांटा तो वह घर निकल कर ट्रेन में चढ़ गया और बरेली आ गया। जहां से चलकर यहां आ गया। एसओ ने बच्चे के बारे में चाइल्ड लाइन के अधिकारियों को अवगत करा दिया है।

दिनांक 25.10.2022

दीपावली पर्व के पावन अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 ओपी सिंह द्वारा अपने परिवार के साथ वृद्धाश्रम में जाकर बेसहारा, वृद्धजनों को मिठाई, कपड़े आदि वितरित कर, दी गई दीपावली की शुभकामनायें।

आज दिनांक 25.10.2022 को दीपावली पर्व के पावन अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ द्वारा थाना उझानी क्षेत्रांतर्गत कछला में परिसर में स्थित नवजीवन वृद्धाश्रम में जाकर वहाँ निवास

करने वालें बेसहारा, वृद्धजनो के साथ उत्साहपूर्वक दीपावली पर्व को मनाया गया,महोदय द्वारा वहाँ निवास करने वाले समस्त वृद्धजनों से बात-चीत कर उनकी कुशल-क्षेम ली गयी तथा दीपावली की शुभकामना देते हुए सभी को फल, मिठाई, कपड़े आदि वितरित कर उनके साथ दीपावली का त्यौहार मनाया गया तथा सभी को दीपावली की बधाईयां व शुभकामनाएं दी गई। इस सहृदयता से सभी काफी प्रसन्न एवं उत्साहित दिखे तथा बुजुर्गों द्वारा ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद दिया गया। तत्पश्चात वृद्धाश्रम में स्थित गौशाला का जायजा लिया गया।

घर-घर में लक्ष्मी गणेश का पूजन, सुख समृद्धि की कामना, बच्चों ने मिटाई खाकर एवं फुलझड़ी चलाकर खुशी जताई

जिले भर में धूमधाम से मनाई गई दिवाली

बदायूं, संवाददाता। जिले भर में दिवाली धूमधाम से मनाई गई। घर-घर में लक्ष्मी गणेश का पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की गयी। बच्चों ने मिठाई खाकर एवं फुलझड़ी पटाखा चलाकर जमकर मस्ती की। घर के बड़े सदस्यों ने भी आतिशबाजी दागकर पर्व पर खुशी मनायी।

सोमवार को दिवाली मनाने की तैयारियां सुबह से ही लोगों ने शुरू कर दी थी। लोगों ने घरों की साफ-सफाई के बाद रंगीन झालरों एवं फूलों से सुंदर ढंग से सजाया। शाम में शुभ मुहूर्त देख घर के मंदिर में परिवार संग पूजन किया। पूजन में मां, लक्ष्मी के समक्ष पहले धूपबत्ती लगायी और खील, खिलौना चढ़ाये। इसके साथ ही मां लक्ष्मी, गणेश को पूड़ी, कचौड़ी संग मेवा, मिष्ठान का भोग लगाया। इसी दौरान मां लक्ष्मी की आरती पढ़ी। पूजन के बाद घर के मुख्य द्वार समेत अन्य स्थानों पर दीप जलाये। एक साथ जल रहे असंख्य दीपों को देख पूरा जनपद रोशन हो उठा था। रंग, बिरंगी झालरों एवं लेजर वाले बल्बों ने भी पर्व पर अनोखी छटा बिखेरने का काम किया।

पुलिस लाइन में मनाई गई दिवाली: पुलिस अधिकारियों से पुलिस लाइन में सामूहिक दिवाली मनाई। सबसे पहले एसएसपी डॉ. ओपी सिंह सपत्नी प्रीति सिंह के साथ शहीद स्तंभ पर दीप प्रज्वलित किये। इसके बाद अधिकारियों ने दीपावली मनायी। पुलिस माडर्न स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये।

मंदिरों में पूजन: दिवाली के दिन लोगों ने मंदिरों में जाकर पूजन किया। धार्मिक स्थलों पर भजन कराकर परिवार की सुख, समृद्धि के लिए दुआ की।

शुभकामनाओं का दौर: त्योहार सुबह से ही शुभकामनाओं का दौर शुरू हो गया था। लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पर्व की शुभकामनायें दी।

दीपावली पर पूजन के बाद शहर के शहबाजपुर इलाके में फुलझड़ी जलाती बच्ची।

शहीद स्थल पर दीप प्रज्वलित करते एसएसपी डॉ. ओपी सिंह साथ में उनकी पत्नी।

दीपावली त्योहार पर लाइन में सामूहिक पूजन के बाद एक साथ पुलिस अधिकारी व उनके परिवार के सदस्य। • हिन्दुस्तान

कारागार में मनाई दिवाली

बदायूं। जिला कारागार में जेल अधीक्षक डॉ. विनय कुमार द्विवेदी ने बंदियों एवं कैदियों संग हर्षोल्लास से दिवाली। पर्व के मौके पर कारागार की बिल्डिंग को सुंदर ढंग से सजाया गया। सभी आहतों के सामने रंगोली तैयार करायी गयी। पर्व पर कारागार में दो हजार मिट्टी के दीपक जलाये गये। लेजर वाली रंगीन लाइटें भी लगायी गयी थी।

हर्षोल्लास से मनाया त्योहार

उझानी। नगर सहित समस्त देहात इलाके में दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शाम को दीपावली त्योहार पर घर घर लक्ष्मी गणेश पूजन आरती के बाद एक दूसरे के घरों में मिठाईयां और खील बताशे बांटे गये। नगर में देर रात तक युवा आतिशबाजी छोड़ते रहे। घरों को झालरों से सजाया गया। पूरा शहर दीपावली पर रोशनी से जगमगा उठा।

धूमधाम से मनायी दिवाली

बिल्सी। नगर समेत क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में बीती सोमवार की रात दीपों का पर्व दीपावली धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने देर रात तक जमकर आतिशबाजी छोड़ी। मिष्ठान की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ रही। लोगों ने सबसे पहले मंदिरों में पहुंचकर भगवान गणेश और लक्ष्मी का पूजन कर मंदिरों में दीपक जलाए। दिन ढलते ही आतिशबाजी का नजारा शुरू हो गया।

दिनॉक-26-10-2022

सराहनीय/मानवीय कार्यः-थाना वजीरगंज जनपद बदायूँ।

परिजनों से विछड़ी 08 वर्ष की बच्ची,थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा 01 घण्टे के भीतर बच्ची के परिजनों की तलाश कर बच्ची को सकुशल हिदायत के साथ परिजनों के सुपुर्द किया गया।

थाना वजीरगंज पुलिस को एक बच्ची उम्र लगभग 8 वर्ष मंदबुद्धि जो कस्बा वजीरगंज में सड़क पर इधर-उधर घूम रही थी तथा अपना नाम एवं अपने माता-पिता का नाम कुछ भी नहीं बता पा रही थी

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा बच्ची को महिला कांस्टेबल कुसुमा देवी की सुपुर्दगी में महिला हेल्प डेस्क पर बैठाया गया एवं केवल 1 घंटे के अंदर गहनता से सुरागरसी पतारसी करते हुए बच्ची के परिजनों को तलाश किया गया तो ज्ञात हुआ कि बच्ची का नाम शबाना पुत्री बली मोहम्मद निवासी मोहल्ला मुमताज नगर कस्बा व थाना वजीरगंज जनपद बदायूं की है उसके माता-पिता को सूचना देकर थाने बुलाकर बच्ची उपरोक्त को उसकी माता आसमा बेगम पत्नी वली मोहम्मद तथा भाई अमन पुत्र वली मोहम्मद निवासी गण मोहल्ला मुमताज नगर कस्बा व थाना वजीरगंज जनपद बदायूं के सुपुर्द कर सकुशल थाना से रुखसत किया गया।

भटकती मिली मंदबुद्धि बच्ची, परिजनों को सौंपी

वजीरगंज। कस्बा वजीरगंज में बुधवार को आठ वर्षीय एक मंदबुद्धि बालिका पुलिस को रोड पर भटकती हुयी मिली। बच्ची अपने माता पिता का नाम तक नहीं बता पा रही थी। एक घंटे तक पुलिस परिजनों को तलाश करती रही। जिसके बाद परिजनों तक पहुंची पुलिस ने बच्ची उन्हें सुपुर्द की। पुलिस के मुताबिक बच्ची का नाम शबाना पुत्री बली मोहम्मद निवासी मोहल्ला मुमताज नगर है।

दिनॉक-26-10-2022

थाना कोतवाली बदायूं की सराहनीय कार्यवाही।

दिनांक 26.10.2022 को रात्रि करीब 11.30 बजे थाना कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत मोहल्ला साहूकारा मे एडवोकेट लक्ष्मण प्रसाद पुत्र स्व0 शिवप्रसाद जी के मकान मे भीषण आग लगने की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह बालियान मय पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचे एवं दूरभाष द्वारा फायर टेन्डर को तत्काल मौके पर पहुंचने की सूचना दी गयी। मकान मे मौजूद एडवोकेट लक्ष्मण प्रसाद उम्र 60 वर्ष व

उनके भाई आर प्रसाद 61 वर्ष व बहन राधा प्रसाद उम्र 58 वर्ष को मकान से सकुशल निकाला गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नही हुई है। मौके पर फायर टेन्डर की 02 गाडी बदायूं सदर क्षेत्र से व 01 गाडी सहसवान व 01 गाडी दातागंज से कुल 04 गाडी मौके पर पहुंची मकान में लकडी की कड़ियों की छत बनी थी एवं मकान के आसपास घनी आबादी है। आसपास के घरों को सुरक्षित करते हुये पुलिस फोर्स के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया।

जनपद शाहजहांपुर में पुलिस अधि0/कर्म0गण द्वारा किये गये गुडवर्क सम्बन्धी सूचना।

जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 02.10.2022

थाना कटरा पुलिस को मिली बडी कामयाबी,

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 04 करोड रूपये कीमत की फाइन क्वालिटी की 04 किलोग्राम अफीम बरामद कर 04 मादक पदार्थ तस्करो को किया गिरफ्तार।

श्री एस.आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में मादक पदार्थो की रोकथाम व मादक पदार्थ तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्री बी0एस0वीर कुमार, क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण में थाना कटरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली।

दिनांक 01.10.2022 की रात्रि को श्री धर्मेन्द्र कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा के नेतृत्व मे थाना कटरा की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रात्रि समय 23.50 बजे **नहर की पुलिय तिलहर रोड मैन हाईवे से** 04 मादक पदार्थ तस्करो 1. विजय राना 2. मोहित 3. सुनील 4. राकेश को 01-01 किलोग्राम अफीम कुल 04 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कटरा पर सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण से पूछताछ जारी है। पूछताछ से जो तथ्य प्रकाश मे आयेंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

<u>दिनांक 18.10.22*</u>

<u>*थाना बण्डा व साइबर सेल पुलिस टीम ने की त्वरित कार्यवाही,*</u>

<u>*ऑनलाइन ठगी किये गये बीस हजार रूपये कराये वापस।*</u>

श्री एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार श्री संजीव कुमार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जनता को साइबर क्राइम के बारे मे जागरूक करने हेतु अभियान चलाकर निरंतर विस्तृत जानकारी दी जा रही है तथा साइबर क्राइम की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये है।

दिनांक 14.10.2022 को को 2022.आवेदक रोहित कुमार पुत्र राजबहादुर नि0ग्रा0 पोहकरपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना बण्डा पर सूचना दी गयी कि आवेदक के मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल करके कम्पनी में कमीशन के लिए 299 रू0 का चार्ज जमा करने हेतु बताया गया, जिस पर उक्त कम्पनी ने आवेदक के खाते से 20 हजार रूपये काट लिये गये।

इस सूचना पर थाना बण्डा पुलिस द्वारा साइबर सेल को रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा जिस पर साइबर सेल द्वारा तकनीकी साक्ष्यों को र एकत्रित कर थाना बण्डा पुलिस को अवगत कराया।

इसी क्रम मे दिनांक 17.10.2022 को साइबर सेल व थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा किये गये अथक प्रयास से आवेदक की समस्या के निस्तारण कर मात्र 03 दिवस के अन्दर आवेदक रोहित कुमार उपरोक्त के खाते से ठगी किये गये 20 हजार रूपय वापस कराये गये तथा भविष्य मे साइबर अपराध के बारे मे विस्तृत जानकारी देते हुए आवेदक को हिदायत मुनासिब की गयी। शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही से आवेदक द्वार पुलिस का कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा थाना बण्डा क्षेत्र की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है।

दिनांक - 19.10.2022*

थाना सदर बाजार पुलिस के कडे परिश्रम से मिली सफलता

स्कूल से घर वापस जाते हुये गायब हुये बच्चे को 10 घंटे में सकुशल बरामद।

स्कूल भेजने से परिजनों से नाराज होकर जननायक ट्रेन में बैठकर पहुँचा था अम्बाला, आरपीएफ को दी गयी सूचना पर अम्बाला कैन्ट स्टेशन पर बच्चे को सकुशल ट्रेन से उतार कर परिजनों को सुपुर्द किया गया

थाना सदर बाजार पुलिस की त्वरित कार्यवाही की परिजनों एवं जनता ने खूब सराहा, दिया धन्यवाद।

दिनांक 18.10.2022 को वादी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह, नि0 मो0 महमन्द जलालनगर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अपने पुत्र आर्यन सिंह उम्र करीब 11 वर्ष, जो थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत एक स्कूल में कक्षा-7 में अध्ययनरत है, के दिनांक 18.10.2022 की सुबह समय करीब 6.20 बजे घर से स्कूल पढ़ने के लिए जाने तथा स्कूल से छुट्टी होने के पश्चात अपनी नानी के घर फरीदाबाद, हरियाणा जाने की बात कहकर सूर्या होटल के पास स्कूली रिक्शे से उतरना व अपने घर न पहुँचने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर तत्काल ही मु0अ0सं0 973/22 धारा 363 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

श्री एस.आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर द्वारा घटना को गम्भीरता से लिया गया तथा आर्यन सिंह उपरोक्त की बरामदगी के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं श्री अखण्ड प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा दो टीमों का गठन किया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा सूर्या होटल के आस पास एवं रेलवे स्टेशन पर लगे हुए सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज की पड़ताल की गई, जिसमें रेलवे स्टेशन, शाहजहाँपुर के प्लेटफार्म नं0 3 पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज में वादी के पुत्र आर्यन उपरोक्त को रेलवे स्टेशन, शाहजहाँपुर के प्लेटफार्म नं0 3 पर अपराह्न समय करीब 14.00 बजे जननायक एक्सप्रेस जो सहारनपुर होते हुए अमृतसर, अम्बाला की ओर जाती है, की बोगी में स्कूल ड्रेस में स्कूली बैग लेकर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। इस पर तत्काल ही आर.पी.एफ. के आपातकालीन नम्बर 139, जी.आर.पी. उ0प्र0 व यूपी 112 के वाट्सएप्प ग्रुप व सोशल साइट्स पर वादी के पुत्र आर्यन सिंह उपरोक्त की फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक विवरण प्रेषित करते हुए जननायक एक्सप्रेस की चेकिंग कराते हुए उक्त गुमशुदा आर्यन सिंह की बरामदगी करने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर उ0नि0 श्री कुलबीर सिंह, तैनाती आर.पी.एफ. पोस्ट, अम्बाला छावनी द्वारा रात्रि समय करीब 11.55 बजे उक्त गुमशुदा आर्यन सिंह को जननायक एक्सप्रेस के अम्बाला छावनी स्टेशन प्लेटफार्म नं0 2 पर जननायक एक्सप्रेस ट्रेन की पीछे से तीसरे कोच से सकुशल बरामद किया गया एवं उक्त गुमशुदा आर्यन के मामा सतीश कुमार, नि0 मोहाली, चण्डीगढ़ भी मौके पर पहुँच चुके थे। प्रारम्भिक बातचीत में गुमशुदा आर्यन सिंह द्वारा अपने पिता/वादी श्री देवेन्द्र सिंह उपरोक्त द्वारा जबरदस्ती पढ़ने के लिए स्कूल भेजे जाने को लेकर गुस्सा होकर फरीदाबाद, हरियाणा में अपनी नानी के घर जाने की बात बतायी गई है। उक्त गुमशुदा आर्यन की सकुशल बरामदगी के सम्बन्ध में परिवारीजन को सूचना दी गई। आर.पी.एफ. अम्बाला द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही के पश्चात परिवारीजन के साथ गुमशुदा आर्यन को लाया जा रहा है। पुलिस व पुलिस की अन्य इकाईयों के द्वारा की गई इस त्वरित कार्यवाही/बरामदगी की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है।

<u>*बरामद गुमशुदा का विवरणः-*</u>

गुमशुदा आर्यन सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह उम्र करीब 11 वर्ष नि0 मो0 महमन्द जलालनगर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।

<u>*पंजीकृत अभियोग-*</u>

973/22 धारा 363 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।

<u>*बरामदगी करने वाली टीमः-*</u>

1. श्री अमित कुमार पाण्डेय प्र0नि0 थाना सदर बाजार एवं थाना सदर बाजार पुलिस टीम।
2. यूपी 112 पुलिस टीम।
3. आर.पी.एफ., अम्बाला छावनी।

@shahjahanpurpol

प्रेस नोटः- जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 19.10.2022

शाहजहाँपुर एस.ओ.जी. टीम एवं थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अवैध रूप से चल रही पटाखा/सुतली बम फैक्ट्री का किया गया भण्डाफोड़, विभिन्न ब्राण्ड के निर्मित एवं अर्धनिर्मित पटाखों, विस्फोटक पदार्थ सहित करीब 25 लाख रूपये के पटाखे बरामद एवं 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार ।

आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत उ0प्र0 शासन एवं वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ एवं पटाखों के निर्माण, भण्डारण एवं विक्री से होने वाली जन हानि की रोकथाम हेतु निर्देश जारी कर उक्त सम्बन्ध में सतर्क दृष्टि रखने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा ग्राउण्ड इन्टेलीजेन्स हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारियों एवं एस.ओ.जी. टीम, शाहजहाँपुर को सक्रिय कर अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे।

उक्त क्रम में श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं श्री अखण्ड प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर/अपराध के कुशल पर्यवेक्षण में थाना सदर पुलिस तथा एस.ओ.जी. की संयुक्त टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत मो0 बाडूजई प्रथम में दो मकानों में अवैध रूप से चल रही पटाखा/सुतली बम फैक्ट्री का भण्डाफोड़ किया गया है। मौके से विभिन्न ब्राण्ड के निर्मित एवं अर्धनिर्मित पटाखे, बम एवं विस्फोटक पदार्थ बरामद करते हुए कुल 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. अरबाब खाँ पुत्र स्व0 जुबैर खाँ, निवासीगण मो0 बाडूजई प्रथम, जनपद शाहजहाँपुर उम्र लगभग 40 वर्ष
2. जब्बार खाँ पुत्र स्व0 जुबैर खाँ, निवासीगण मो0 बाडूजई प्रथम, जनपद शाहजहाँपुर उम्र लगभग 30 वर्ष
3. ममनून अली पुत्र स्व0 मसूद अली, नि0 मो0 बाडूजई प्रथम, जनपद शाहजहाँपुर उम्र लगभग 38 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

(A) विभिन्न ब्राण्ड के निर्मित एवं अर्धनिर्मित पटाखे कुल वजन लगभग 12 कुण्टल -1. मुर्गा छाप मिनी बुलट बम, 2. मुर्गा छाप चकरी, 3. मुर्गा छाप फुलझड़ी, 4. स्टार फुलझड़ी, 5. सुपर डीलक्स चकरी, 6. भूचाल सुतली बम, 7. लैला मजनू सुतली बम, 8. वेल्स 3 साउण्ड राकेट, 9. श्री साई साई राकेट बम, 10. बेताब सुतली बम, 11. रथ ब्राण्ड चटाई, 12. वारियर ब्राण्ड चटाई, 13. सुप्रीम फ्लाईंग स्टार, 14. सुप्रीम गाउण्ड चकरी, 15. अशोका ग्राउण्ड चकरी

(B) पटाखा निर्मित करने की सामग्री - 1. सुतली(44 किग्रा.) 2. फ्यूज 11.20 किग्रा. 3. बेरियम 75. 300 ग्राम मय बोरी 4. सौरा 22.80 किग्रा. 5. हरा सौरा 8.60 किग्रा. मय बाल्टी 6. एल्युमिनियम छीलन 3 किग्रा. 7. मैग्नीशियम 7.80 किग्रा. 8. कोयला 20.40 किग्रा. 9. गन्धक 16.80 किग्रा. 10. एल्युमिनियम पाउडर 35 किग्रा. 11. सुतली बम बनाने की डिब्बी 6.40 किग्रा. 12. पालीथिन 3.30 किग्रा. 13. दफ्ती के गत्ते 56.40 किग्रा. 14. मेहताब फूल खाली खोल 8 किग्रा. 15. पैकिंग मशीन – 03 अदद 16. सुतली बम लेबेल 2.50 किग्रा. 17. खाली मिट्टी के अनार 58 अदद

आवश्यक मोबाइल नम्बर
UP COP

दिनांक 06.10.22*

*साइबर अपराध के प्रति साइबर सेल द्वारा बैकों एवं थाना पुलिस टीमों द्वारा थाना क्षेत्रों में जनता को साइबर क्राइम के प्रति जागरुक कर पम्पलेट वितरण किये गये

श्री डी0एस0 चौहान, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार साइबर अपराध के प्रति आमजनमानस को जागरुक करना प्राथमिकताओं में एक है, जिसके अन्तर्गत श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशन व श्री संजीव कुमार वाजपेई अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में साइबर सेल टीम व थाना पुलिस टीमों द्वारा आमजनता को साइबर अपराध के सम्बन्ध मे जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है।

"साइबर क्राइम जागरुकता दिवस" के अन्तर्गत साइबर क्राइम से सम्बन्धित होने वाले अपराध के प्रति आम जनता को बचाव हेतु जागरुक किया जाना है।*

इसी क्रम में आज दिनाँक 06.10.2022 दिन वृहस्पतिवार को साइबर सेल टीम द्वारा थाना क्षेत्र सदर बाजार अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इन्डिया टाउन हाल, एचडीएफसी बैंक , आईसीआईसीआई बैक आदि में एवं जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त प्रशिक्षण प्राप्त अधि0/कर्म0गण द्वारा थाना क्षेत्रों में बैंको, डिग्री कॉलेजो व स्कूलो तथा सार्वजनिक स्थानों पर जाकर सभी को साइबर से सम्बन्धित होने वाले क्राइम परविस्तृत कार्ययोजना तैयार करते हुए इन्टरनेट बैकिंग, एटीएम कार्ड/डेविड कार्ड/क्रेडिट कार्ड, ओलेक्स फ्राड, वालेट/ यूपीआई संबंधित धोखाधड़ी में सावधानियां, फेसबुक हैकिंग, बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्राड, व्हाट्एप हैकिंग से बचाव, फर्जी वेबसाइट से होने वाले फ्राड के संबंध में सावधानियां, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, व्हास्टएप आदि सोशल साइट्स से हनी ट्रैप होने के संबंध साइबर अपराध एवं सिम कार्ड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, ATM कार्ड बदलकर होने वाले फ्रॉड , डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, बायोमैट्रिक फ्रॉड, यूपीआई सम्बन्धी फ्रॉड, फोन काल के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, पालिसी ,चिट फण्ड,लाटरी का लालच देकर होने वाले फ्रॉड , आनलाइन एप्पके माध्यम से सामान खरीदने व बेचने से सम्बन्धित फ्रॉड तथा सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों के बारे में के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देकर जागरुक कर तथा साइबर जागरूकता सम्बन्धित पम्पलेट भी वितरित किये गये ।

जनपद पीलीभीत में पुलिस अधि0/कर्म0गण द्वारा किये गये गुडवर्क सम्बन्धी सूचना।

थाना अमरिया जनपद पीलीभीत

दिनांक 17.10.2022 को थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 231/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत गैंग बनाकर गौवंशीय पशुओं का वध कर उनके मांस को बेचकर अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले अपराध में गैंग लीडर रियाज अहमद व गैंग सदस्य फईम पुत्र सलीम व इस्तिखार उर्फ बब्लू पुत्र नियाज अहमद एवं यासीन उर्फ गुड्डू पुत्र अली हुसैन निवासीगण ग्राम धुंधरी थाना अमरिया सक्रिय सदस्य के रूप में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। इनके द्वारा सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से गौवध निवारण अधिनियम व अन्य आपराधिक कृत्य कर अर्जित धन से ग्राम धुंधरी थाना अमरिया विभिन्न सम्पत्तिया अर्जित की हैं। गैंग लीडर व गैंग सदस्यों के विरूद्ध प्रभारी निरीक्षक अमरिया के द्वारा अवैध अचल संपत्ति के बारे में जानकारी कर रिपोर्ट अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्ध एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बनाकर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के न्यायालय प्रेषित की गई, जिस पर न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के वाद संख्या 1733/2022 सरकार बनाम रियाज अहमद, वाद संख्या 1734/2022 सरकार बनाम फईम, वाद संख्या 1435/2022 सरकार बनाम इस्तिखार उर्फ बबलू, बाद संख्या 1736/2022 सरकार बनाम यासिन उर्फ गुड्डू अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में श्रीमान प्रवीण कुमार लक्षकार, जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्ध एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गौवंशीय पशुओं का वध कर उनके मांस को बेच कर अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले गैंग लीडर रियाज अहमद पुत्र कल्लू निवासी ग्राम धुन्धरी थाना अमरिया जनपद पीलीभीत के सह अभियुक्त/सदस्य 1.फईम पुत्र सलीम निवासी ग्राम धुन्धरी थाना अमरिया जनपद पीलीभीत, 2. इस्तिखार उर्फ बबलू पुत्र नियाज अहमद निवासी ग्राम धुन्धरी थाना अमरिया जनपद पीलीभीत, 3. यासीन उर्फ गुड्डू पुत्र अली हुसैन निवासी ग्राम धुन्धरी थाना अमरिया जनपद पीलीभीत के द्वारा गौवंशीय पशुओं का वध कर उनके मांस को बेच कर अवैध रूप से धन अर्जित कर छः आवासीय भवन जिसकी अनुमानित कीमत 35 लाख 42 हजार रूपये को कुर्क करने के आदेश दिनांकित 27.09.2022 के अनुपालन में उपजिलाधिकारी अमरिया व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय, तहसीलदार अमरिया की मौजूदगी में नियमानुसार प्रभारी निरीक्षक अमरिया मय फोर्स के अचल संपति कुर्क कर सभी वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण की गयी।

थाना बिलसण्डा पुलिस द्वारा भटकते बालक को उसके माता पिता के किया सुपुर्द।

दिनांक 04.10.2022 को थाना बिलसंडा के पवन मोबाईल पर तैनात पुलिसकर्मियों को दैनिक गश्त के दौरान एक बालक तनिष्क सीएचसी बिलसण्डा के सामने रोता हुआ मिला, जिसकी सूचना उक्त कर्मचारी गण के द्वारा थानाध्यक्ष बिलसण्डा को दी गयी। सूचना पर पर थानाध्यक्ष बिलसंडा द्वारा उक्त बालक को लाकर खाने-पीने की वस्तुऐं देकर शान्त किया गया। बच्चा अपने माता-पिता व निवास स्थान बताने में असमर्थ था, उक्त बालक के निवास स्थान व माता-पिता की जानकारी हेतु बालक का फोटो खींच कर थाने के डिजिटल वालन्टियर ग्रुप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड किया गया तथा थाने की दो टीम व पवन मोबाइल को आस-पास के गांव में जाकर बालक के माता पिता के बारे में जानकारी करने हेतु रवाना किया गया था। तभी डिजिटल वालन्टियर ग्रुप के एक सदस्य द्वारा उक्त बालक के फोटो को देखकर पहचाना तथा तनिष्क के माता पिता को उनके घर पहुंच कर सूचित किया गया। उक्त बालक तनिष्क को उसके माता पिता की पहचान करवाने के पश्चात नियमानुसार परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

बालक का नाम-

तनिष्क पुत्र मनोज नि0 मो0 घस्सूगंज थाना बिलसण्डा जिला पीलीभीत

सरंक्षक मे देने वाले व्यक्ति-

श्रीमती शशि देवी पत्नी मनोज नि0 मो0 घस्सूगंज कस्वा व थाना बिलसण्डा,पीलीभीत व मनोज (माता-पिता)

टीम

थानाध्यक्ष श्री अचल कुमार

पवन मोवाईल कर्मचारी

का0 1106 नितिन शहरावत

का0 1247 संतोष कनौजिया

म0का0 1614 पूजा कुमारी

साइबर क्राइम सेल, जनपद पीलीभीत

दिनांक- 15.10.2022

शिकायतकर्ता श्री मो0 नाजिम पुत्र श्री रियाज मो0 निवासी मो0 गनेशगंज थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत के क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर निकाले गये 39990/- रूपये साइबर सेल, पीलीभीत द्वारा कराये गये वापसः-

---

दिनांक 05.10.2022 को आवेदक श्री मो0 नाजिम पुत्र श्री रियाज मो0 निवासी मो0 गनेशगंज थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत के द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक के फोन पर अज्ञात मो0नं0 से आये मैसेज(लिंक) के माध्यम से खाते में पैन कार्ड अपडेट करने का झांसा देकर आवेदक के क्रेडिट कार्ड से कुल 39990/- रू0 धोखाधड़ी कर ठग लिये गये हैं।

उपरोक्त शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर सेल को तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, उक्त सम्बन्ध में साइबर सेल द्वारा आवेदक के दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते सम्बन्धित कम्पनी से पत्राचार कर सम्पूर्ण धनराशि 39990/- रू0 वापस करायी गयी। शिकायतकर्ता द्वारा अपने क्रेडिट कार्ड में निकली हुई धनराशि 39990/- रू0 वापस आने पर साइबर सेल पीलीभीत को आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया गया।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. निरीप्रभारी साइबर सेल पीलीभीत। ,श्री अजय कुमार यादव 0
2. कम्प्यूटर ऑपसाइबर सेल पीलीभीत। ,अंकुर कुमार 0
3. आसाइबर सेल पीलीभीत। ,अनुज कुमार 0
4. आ साइबर सेल पीलीभीत। ,अंकित कुमार 0

पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा साइबर जागरूकता दिवस वर्षगांठ के अवसर पर छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों के प्रति किया जागरूक।

साइबर जागरूकता दिवस के वार्षिक अवधि पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तथा समाज में बढ़ते विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों से रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत दिनांक 06.10.2022 को पुष्प इंस्टीट्यूट पीलीभीत में पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा छात्र-छात्राओं को वर्तमान में प्रचलित साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया तथा उनको साइबर से सम्बन्धित होने वाले क्राइम इन्टरनेट बैकिंग, एटीएम बूथ/कार्ड/डेबिड कार्ड/क्रेडिट कार्ड, ओलेक्स फ्राड, वालेट/यूपीआई, सिम स्वैप, आनलाइन डेटिंग एप, टावर लगाने से संबंधित धोखाधड़ी में सावधानियां, फेसबुक हैकिंग, बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्राड, व्हाट्एप हैकिंग से बचाव, फर्जी वेबसाइट से होने वाले फ्राड के सम्बन्ध में सावधानियां, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, व्हास्टएप आदि सोशल साइट्स से हनी ट्रैप होने के संबंध में साइबर अपराध, सिम कार्ड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, ATM कार्ड बदलकर होने वाले फ्रॉड, बायोमैट्रिक फ्रॉड, यूपीआई सम्बन्धी फ्रॉड, फोन काल के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, पालिसी, चिट फण्ड,लाटरी का लालच देकर होने वाले फ्रॉड, आनलाइन एप के माध्यम से सामान खरीदने व बेचने से सम्बन्धित फ्रॉड तथा सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। साइबर फ्राड होने के स्थिति में साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 एवं वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर एवं संबंधित थाने की साइबर हैल्पडैस्क पर जाकर तत्काल अपनी शिकायत दर्ज कराये।

PILIBHIT POLICE

प्रेस नोट

"थाना सुनगढी पुलिस द्वारा लापता बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया सुपुर्द"

दिनांक 30.10.2022 को समय 19.00 बजे श्री कुंवरसैन पुत्र फकीरे लाल निवासी निकट पिजरापोल गौशाला काशीराम कालौनी थाना सुनगढ़ी पीलीभीत की लिखित सूचना कि उसका छोटा बेटा लक्ष्मण उम्र 13 वर्ष दिनांक 29.10.2022 को बाबू की चक्की पर समय करीब 04.00 बजे गेंहूँ पिसवाने गया था तभी से गायब हो गया सूचना पर थाना सुनगढी पुलिस द्वारा तत्काल मु0अ0सं 543/22 धारा 363 भादवि0 अंकित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय थाना सुनगढी पुलिस को बच्चे की सकुशल व त्वरित बरामदगी के निर्देश दिये गये, इसी क्रम में आज दिनांक 31.10.2022 समय 08.00 बजे रेलवे स्टेशन बरेली से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

बरामद करने वाली टीम-

उ0नि0 श्री कमलेश सिंह

का0 जितेन्द्र सिंह

का0 सूर्या राठौर

"मिले पैसे तो वापस लौटी मुस्कान"

क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हुए ऑनलाइन फ्रॉड में गयी धनराशि(कुल 96473/- रू0) को साइबर क्राइम सेल पीलीभीत ने कराया वापस

दिनांक 13.10.2022 को आवेदक श्री मो0 नाजिम पुत्र श्री मो0 वाजिद मलिक निवासी मो0 शेर मोहम्मद थाना कोतवाली जनपद पीलीभीत के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि आवेदक द्वारा क्रेडिट कार्ड से प्राप्त होने वाले रिवार्ड पॉइन्ट रिडीम करने हेतु गूगल से कस्टमर केयर नम्बर सर्च किया गया। सर्च करने पर प्राप्त मो0न0 से बात करने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक को झांसे में लेकर आवेदक के क्रेडिट कार्ड से कुल 96473/- रू0 धोखाधड़ी कर ठग लिये गये हैं।

उपरोक्त शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा साइबर क्राइम सेल पीलीभीत को तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। साइबर क्राइम सेल पीलीभीत द्वारा आवेदक के दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित कम्पनी से पत्राचार कर सम्पूर्ण धनराशि 96473/- रू0 वापस करायी गयी। शिकायतकर्ता द्वारा अपने क्रेडिट कार्ड में निकली हुई धनराशि 96473/- रू0 वापस आने पर साइबर क्राइम सेल पीलीभीत को आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के निर्देशन में थाना बीसलपुर पुलिस द्वारा 'मानवीय मूल्यों' को सर्वोपरि रखते हुये, अतिवृष्टि के कारण बाढ़ग्रस्त गांव में स्वंय नाव से जाकर करीब 400 राहत-सामग्री के पैकेट वितरित कर ग्रामवासियों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लाने का कार्य किया गया।

पीलीभीत पुलिस

थाना गजरौला पुलिस द्वारा महज 02 घण्टे में अथक प्रयास कर 10 वर्षीय मन्द बुद्धि बच्चे को उसके परिजनों को सुपुर्द कर लौटाई मुस्कान।

- ❖ आज दिनांक 07/10/2022 को थाना थाना गजरौला पुलिस को चौकी रिछौला क्षेत्र में सीता-राम मन्दिर के पास रोड़ पर 10 वर्षीय बालक लावारिस स्थिति में रोता हुआ घूमता मिला जो मन्द बुद्धि व गूंगा प्रतित हो रहा था
- ❖ बच्चा मन्द बुद्धि होने के कारण अपने नाम पते की जानकारी देने में असमर्थ था जिसे चौकी इन्चार्ज रिछौला श्री आदित्य सिंह द्वारा थाने पर लाया गया थाना पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुये सोशल मीडिया ग्रुप/डिजिटल वॉलिन्टियर ग्रुप/सम्भ्रान्त व्यक्तियों से सम्पर्क किया गया जिसके उपरान्त बच्चे की पहचान मुनेन्द्र सिंह पुत्र नत्थू लाल निवासी कुरैया नवदिया थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत के रूप में हुयी।
- ❖ बच्चे को ठीक और सही हालात में उसके चाचा राजेन्द्र पुत्र पूरन लाल की उपस्थिति में उसके पिता नत्थू लाल पुत्र पूरन लाल के सुपुर्द किया गया। बच्चे को पाकर परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त कर प्रसन्नता जाहिर की।